राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुजाराम बनाम सरदारमल 199/2013, 195/2013 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 199/2013 एवं 195/2013 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/05/2026 को पेश हो		
07/05/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27/04/2012 पारित करते हुये विवादग्रस्त आराजी खाता न. 138, 80, 81, 82, 83 वर्णित पैरा 1 वाद पत्र वाके डूंगरी का कब्जे एवं रिकार्ड अनुसार विभाजन किया जाकर लगान की फाटबंदी का आदेश पारित करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05/04/2013 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया	जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27/04/2012 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05/04/2013 के विरुद्ध अपील संख्या 199/2013 एवं 195/2013 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है	अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है	निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम पर की गयी बहस के परिपेक्ष्य में दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किये जाते है एवं गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का निस्तारण	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुजाराम बनाम सरदारमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	199/2013, 195/2013	

किये बगैर ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में काउन्टर क्लेम का निस्तारण करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया जाना आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित किया जाना स्पष्ट होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री त्रुटीपूर्ण होने से निरस्तनीय जाहिर होती है एवं चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री ही क़ानूनी प्रावधानों के विपरित पारित होने से त्रुटीपूर्ण स्पष्ट हो जाती है तो उसके उपरान्त प्राथमिक डिक्री के पदचिन्हों पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये पारित की गयी अन्तिम डिक्री भी त्रुटीपूर्ण जाहिर होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य प्रतीत होती है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले क्रमश: 199/2013 एवं 195/2013 आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27/04/2012 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05/04/2013 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रकरण में प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का युक्तियुक्त निस्तारण करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |